

CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL UNIVERSITY, BHILAI छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई

क्र : छगस्वावितवि/प्रशा/2019/2397

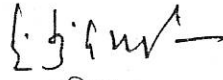
दिनांक : 14.8.19

// आदेश //

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम-2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में निम्नानुसार आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाता है -

1. श्रीमति उषा जैन, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (प्रशासनिक एवं शैक्षणिक) छगस्वावितवि भिलाई।
2. श्रीमति ममता अवस्थी, मुख्य वित्त अधिकारी छगस्वावितवि भिलाई।
3. डॉ अर्चना चौहान, सौभाग्य काम्पलेक्स दुर्ग।
4. श्रीमति हेमा साहू, सी-ब्लॉक, रिषभ सीटी, पोटियाकला चौक दुर्ग।
5. श्रीमति बी बी टी सुन्दरी, छगस्वावितवि भिलाई।
6. श्री एस पी मिश्रा, डाटा एंट्री ऑपरेटर छगस्वावितवि भिलाई।

आदेशानुसार,


कुलसचिव
छगस्वावितवि भिलाई

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमति उषा जैन, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (प्रशासनिक एवं शैक्षणिक) छगस्वावितवि भिलाई।
2. श्रीमति ममता अवस्थी, मुख्य वित्त अधिकारी छगस्वावितवि भिलाई।
3. डॉ अर्चना चौहान, सौभाग्य काम्पलेक्स दुर्ग।
4. श्रीमति हेमा साहू, सी-ब्लॉक, रिषभ सीटी, पोटियाकला चौक दुर्ग।
5. श्रीमति बी बी टी सुन्दरी, छगस्वावितवि भिलाई।
6. श्री एस पी मिश्रा, डाटा एंट्री ऑपरेटर छगस्वावितवि भिलाई।
5. निज सहायक माननीय कुलपति।
6. मास्टर फाइल।

